राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

एफ. 7(04) परीक्षा 'ख'/EO-RO/RPSC/ 2022–23/371 दिनांक : 10.01.2025

प्रेस–विज्ञप्ति

राजस्व अधिकारी ग्रेड–II एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग–IV (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2022 के संदर्भ में आयोग के संयुक्त विज्ञापन संख्या–09/परीक्षा/E.O.,R.O. & A.En./D.L.B./EP-I/2022-23 दिनांक 24.08.2022 एवं इसके क्रम में जारी शुद्धि पत्र दिनांक 02.01.2023 एवं दिनांक 14.08.2023 में विज्ञापित पदों में राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी तथा स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों हेतु ही पद आरक्षित है।

उक्त पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी उक्त आरक्षित पद वाले विभागों में कार्यरत हैं एवं उक्त आरक्षित पदों हेतु पात्रता रखते हैं केवल वे ही अभ्यर्थी आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन में निम्न विकल्पों में से विकल्प संख्या 01 या 02 का चयन करें तथा जो अभ्यर्थी उक्त आरक्षित पदों हेतु पात्र नहीं है, वे विकल्प संख्या 03 का ही चयन करें–

विकल्प–1. Employee of the Ministerial Service of the Department of Local Self Government.

विकल्प–2. Employee of the Rajasthan Municipal Subordinate and Ministerial Service.

विकल्प–3. Not Applicable.

यह भी उल्लेखित किया जाता है कि उक्त ऑनलाईन ऑप्शन में "If Applicable Tick Ministerial Employee (ME) option under Additional Categories section में यदि लागू हो तो अतिरिक्त श्रेणी सेक्शन के अंतर्गत मंत्रालयिक कर्मचारी (ME) विकल्प को टिक करें।)" अंकित किया गया था, के विकल्प को किसी भी विभाग के अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन के द्वितीय पेज पर उल्लेखित ME वर्ग टिक करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में उक्तानुसार संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 13.01.2025 से दिनांक 17.01.2025 तक 05 दिवस का निःशुल्क ऑनलाईन संशोधन का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त आरक्षित पदों की योग्यता के विपरीत विकल्प का चयन किया जाता है तो आयोग उन अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

उक्त ऑनलाईन आवेदन की अवधि के पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। अतः अभ्यर्थी यथा समय ऑनलाईन आवेदन में संशोधन आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें।

(रामनिवास मेहता)
सचिव